न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:12/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00638)

1. हनीफ पुत्र श्री शेर खॉ जाति मेव,
2. नूरदीन पुत्र श्री शेर खॉ जाति मेव,
3. मजीद पुत्र श्री शेर खॉ जाति मेव,
4. शहीदा पुत्र श्री शेर खॉ जाति मेव,
5. रहमूदीन पुत्र री शेर खॉ जाति मेव
6. हारून पुत्र श्री शेर खॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम रघुनाथगढ, तहसील रामगढ जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रहमान पुत्र श्री दरबू, जाति मेव,
2. शेर मौहम्मद पुत्र श्री दरबू, जाति मेव,
3. सरफू पुत्र श्री दरबू, जाति मेव, (मृतक)
   3/1. फजरी पत्नी स्व0 सरफू,
   3/2. लियाकत पुत्र स्व. सरफू,
   3/3. हारून पुत्र स्व. सरफू,
   3/4. जुनेद पुत्र स्व. सरफू,
4. आस मौहम्मद पुत्र श्री कमला जाति मेवा,
5. मोरमल पुत्र श्री कमला जाति मेव,
6. कल्लू पुत्र श्री रहमत जाति मेव,
7. अयूब पुत्र श्री रहमत जाति मेव निवासीयान ग्राम रघुनाथ गढ तहसील रामगढ जिला अलवर।
8. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रघुनाथगढ के सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 1258 कायम हुए एवं सम्वत् 2058 में हाल खसरा नम्बर 1861 लगायत 1866 बने रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी प्राप्त करने हेतु अवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1957 की कीमत के आधार पर तहत न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ ने दिनांक 11.10.1996 को आदेश जारी कर दिया जिसकी पालना में सनद पट्टा क्रमांक 5295 दिनांक 23.10.1996 जारी कर दी गई, उक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

आराजी में हाल खसरा नम्बर 1866 रकबा 20 ऐयर पर अपीलान्ट का बुजुर्गान के समय से कब्जा चला आ रहा है व मौके पर रिहायशी कच्च छप्पर व बाडा पशुधन हेतु बनाया हुआ है विवादित भूमि कि किस्म गैर मु बीहड है जो काश्त योग्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी नही दी जा सकती है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलकर और साजबाज होकर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर सनद प्राप्त की है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोइ सुनवाई का मौका भी नही दिया, न ही कोई उज्रदारी जारी की, न ही कब्जे के सम्बन्ध में कोई जॉच की जबकि मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2009 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर एवं कानूनी सलह लेकर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गइ और निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा अन्तर्गत आराजीयात में हाल खसरा नम्बर 1865 रकबा 20 ऐयर व खसरा नम्बर 1866 रकबा 1.25 हैक्टयर पर अपीलान्ट का कब्जा माना है किन्तु उसका कब्जा को विधि अनुरूप नही माना और निर्णय में यह अंकित किया है कि विधि अनुरूप कब्जा नही होने के कारण अपीलान्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नही होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों पर कतई गोर नही किया क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने यह गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट को जो पट्टा जारी किया है वह भी रेस्पोडेन्ट का अतिक्रमण अर्थात नाजायज कब्जा मानकर जारी किया है जैसा कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ जिला अलवर के अपीलाधीन अदेश दिनांक 11.10.1996 में पृष्ठ संख्या 2 पर स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है कि रहमान पुत्र दरबू के नाम अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी में अंकित है ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट की अपील इस बिना पर खारिज की जा रही है अपीलान्ट को विधि अनुरूप कब्जा नही है तब रेस्पोडेन्ट के अतिक्रमण को विधि अनुरूप कैसे माना जा सकता है ओर उसे पट्टा कैसे जारी किया जा सकता है। जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है इसलिये निर्णय हरदो अदालत काबिले खारिज है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 17.10.2011 एवं निर्णय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ जिला अलवर दिनांक 11.10.1996 बाबत सनद पट्टा 5295 दिनांक 23.10.1996 सम्पूर्ण को विलक्लप में अपीलान्ट्स के कग्जे की सीमा तक निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
अलवर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीले तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई थी मौके पर

आराजी काबिले काश्त है, अपीलान्ट को कोई अधिकार नही है कि रेस्पोडेन्ट की आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा करें, अपीलान्ट को कभी भी आराजी आवंटित नही हुई उनका कोई अधिकार नही है, अपीलान्ट ने 13 वर्ष पश्चात् अपील पेश की थी जिसका कोई औचित्य नही है, पक्षकारान एक ही गांव व एक ही जाति के लोग है आदेश की जानकारी उन्हे प्रारम्भ से ही थी परन्तु अब रेस्पोडेन्ट को तंग परेशान करने के लिए अपील पेश की है जो मियाद बाहर थी एवं अपील निराधार होने कारण खारिज होने योग्य है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही खारिज की गई है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम आवंटित हुई तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा सनद 5295 दिनांक 23.10.1996 जारी की गई है जिसमें भूमि की समस्त कीमत भी रेस्पोडेन्ट द्वारा जमा कराई गई है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को आवंटित हुई है या उनके द्वारा उक्त आराजी की किसी प्रकार की कोई कीमत जमा करवाई गई हो। ऐसी स्थिति अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही था। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2011 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।